न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–366 सन् 2012

संतोष कुमार सुमन व अन्य.....वादीगण

बनाम

संतोष कुमार पंडित वो अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांक– 19.01.2022

प्रतिवादी की ओर से हाजिरी दी गई है। वादी अनुपस्थित हैं। उचित पैरवी करें। आज अभिलेख वादी की ओर से दिनांक 04.01.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि प्रश्नगत भूमि के विक्रेता वादी के केवाला के पूर्व भी दो केवाला की है। जिसकी तिथि 12.10.2006 है। उस केवाला पत्र की सच्ची प्रतिलिपि साक्ष्य के रूप में ग्रहण करने की अनुमति चाहते हैं। अतः निवेदन है कि वादी के इस आवेदन को स्वीकार करने की कृपा करें।

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दिनांक 09.08.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल किया गया जिसमें उनका कथन है कि जिस तरीके से वादी ने आवेदन दाखिल किया है। वह बिल्कुल ही स्वीकार होने योग्य नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। वादी का आवेदन बिल्कुल अस्पष्ट है कि बैनामा दिनांक 12.10.2006 किनके द्वारा किसे लिखा गया है और न ही वादी ने लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट ही प्रतिवादी को हस्तगत कराया है। बैनाम दिनांक 12.10.2006 सुसंगत दस्तावेज है कि नहीं इसका भी जिक वादी ने नहीं किया है। वादी को अपने सारा कागजात वाद बिन्दु के गठन होने से पहले दाखिल करना चाहिए था। इस वाद में वादी का साक्ष्य समाप्त हो चुका है। ऐसी परिस्थिति

में उक्त दस्तावेज के आलोक में वादी से प्रति परीक्षण भी नहीं हो पाया है। अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन को खारिज किया जाए।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुतिकरण हेतु नियत चला आ रहा है। वादी की ओर से दाखिल आवेदन में दो केवाला दिनांक 12.10.2006 की सच्ची पतिलिपि को साक्ष्य में ग्रहण करने की अनुमति की मांग की गई है परंतु वादी की ओर से दो केवाला के बारे में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया गया है कि उपर्युक्त केवाला का इस वाद से क्या संबंध है और किनके द्वारा किनके पक्ष में निष्पादित किया गया है। ऐसी परिस्थिति में वादी को निर्देश दिया जाता है कि वे पुनः तथ्यों को स्पष्ट करते हुए नियमानुकूल आवेदन दाखिल करें।

वाद दिनांक 23.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।